बिहार सरकार
स्वास्थ्य विभाग

अधिसूचना

सं0सं09/आ0–01–59/2018 /स्वा0/पटना,दिनांक /जिला पदाधिकारी, नालंदा के पत्रांक 7430/गो0 दिनांक 24.09.2018 द्वारा प्रतिवेदित है कि डा0 उमेश्वर प्रसाद वर्मा, तत्कालीन सिविल सर्जन, नालंदा संप्रति अपर निदेशक, स्वास्थ्य सेवाएं, बिहार, पटना दिनांक 05.08.2018 को पल्स पोलियो अभियान के शुभारंभ कार्यक्रम में अनुपस्थित रहे तथा उन्होने उस दिन मुख्यालय से बाहर जाने के लिए जिला पदाधिकारी नालंदा से मौखिक या लिखित अनुमति भी नही ली थी। विभागीय पत्रांक 259(9) दिनांक 06.02.19 द्वारा पूछे गए स्पष्टीकरण के जवाब में डा0 वर्मा ने उल्लेख किया कि दिनांक 03.08.2018, 04.08.2018 एवं 06.08.2018 को उन्हें माननीय व्यवहार न्यायालय, हाजीपुर में लगातार गवाही हेतु उपस्थित होना था एवं दिनांक 05.08.2018 को रविवार था, उक्त क्रम में दिनांक 05.08.18 को वे मुख्यालय नहीं लौट सके। इस अवधि में सिविल सर्जन, नालंदा के मुख्यालय लौटने तक के दैनिक कार्यो के संपादन हेतु उपाधीक्षक, सदर अस्पताल, बिहारशरीफ को प्राधिकृत किया गया था। मुख्यालय छोड़ने हेतु सिविल सर्जन नालंदा के पत्रांक 2422 दिनांक 25.07.18 एवं पत्रांक 2423 दिनांक 25.07.18 द्वारा जिला पदाधिकारी नालंदा को सूचित किया गया था।

संपूर्ण मामले की विभागीय स्तर पर सम्यक समीक्षा की गई तथा यह पाया गया कि पल्स पोलियो अभियान एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम था, जिसके शुभारम्भ के अवसर पर सिविल सर्जन नालंदा को निश्चित रूप से जिला पदाधिकारी के साथ रहना था। डा0 वर्मा ने दिनांक 05.08.2018 को बिहारशरीफ में उपलब्ध नहीं होने की सूचना जिला पदाधिकारी, नालंदा को नहीं दी। यह डा0 वर्मा के मनमानेपन एवं कर्तव्यहीनता का द्योतक है तथा इसके लिए वे दोषी है।

अतः डा0 उमेश्वर प्रसाद वर्मा, तत्कालीन सिविल सर्जन, नालंदा, संप्रति अपर निदेशक, स्वास्थ्य सेवाएं, बिहार, पटना को "निंदन" की सजा दी जाती है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से
ह0/–
(विवेकानन्द ठाकुर)
सरकार के अवर सचिव

ज्ञापांक: 807 (9) /स्वा0, पटना , दिनांक: 26/7/2019

प्रतिलिपि:– महालेखाकार (ले एवं0 ह0) बिहार पटना / प्रभारी पदाधिकारी वित्त (वै0 दा0 नि0 को0) विभाग, बिहार, पटना/जिला पदाधिकारी, नालंदा/संबंधित कोषागार पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि:– क्षेत्रीय अपर–निदेशक, स्वास्थ्य सेवायें पटना प्रमंडल पटना/सिविल सर्जन नालंदा को सूचनार्थ एवं आवश्यक प्रेषित।

प्रतिलिपि:– माननीय मंत्री (स्वा0) के आप्त सचिव/प्रधान सचिव स्वा0 विभाग के प्रधान आप्त सचिव/ निदेशक प्रमुख स्वास्थ्य सेवाऐं बिहार पटना के निजी सहायक को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि:– डा0 उमेश्वर प्रसाद वर्मा, तत्कालीन सिविल सर्जन, नालंदा, संप्रति अपर निदेशक, स्वास्थ्य सेवाएं, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि:– प्रशाखा पदाधिकारी 2, 3, एवं 18A को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि:– आई0 टी0 मैनेजर, स्वा0 विभाग को विभागीय वेबसाइट में प्रकाशनार्थ प्रेषित।

23/07/19

सरकार के अवर सचिव